

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/23/589

जयपुर, दिनांक 27.07.2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 241 दिनांक 15.5.2023 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 27 जूलाई 2023 निर्धारित की गई थी।

राजकीय छात्रावासों में प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुए राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27 जूलाई 2023 को बढ़ाकर 28 अगस्त 2023 की जाती है।

इसी प्रकार राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जावेगी :-

जारी होने वाली वरियता सूची	प्रस्तावित नियत दिनांक
पाचवीं सूची	07 अगस्त 2023
छटवीं सूची	18 अगस्त 2023
सातवीं सूची	24 अगस्त 2023
आठवीं सूची	29 अगस्त 2023

(विश्राम मीना)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/23/590-599 जयपुर, दिनांक 27.07.2023
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त)
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान कराने बाबत।
7. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आदेश का सामान्य प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था करावें।
9. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
10. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Vish Ram Meena
Designation: Director
Date: 2023.07.27 17:19:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4371433

